संख्या-3/2015 रिट 36 /11-3-15-157/15

प्रेषक,

प्रभु शंकर
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः अगस्त,2015

विषयः- रिट नोटिस संख्या-4927/2015 यू0पी0 कामर्शियल टैक्स मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ एसोसिएशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ बंेच लखनऊ के पत्र संख्या-ए 11735/सिविल, दिनांक 31-07-2015, जो आपको भी पृष्ठांकित है (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) कि ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत याचिका में प्रतिशपथ पत्र तैयार करा कर मा0 न्यायालय में दाखिल कराने एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः ः यथोक्त।

भवदीय

प्रभु शंकर
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।